जनपद उत्तरकाशी में खाण्ड गांव से रौतंल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत 4.750 कि0मी0 लम्बाई में खाण्ड गांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़ के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाँक 23.4.2014 को संबधित अधिशासी अभियन्ता श्री शंकर राम एंव कनिष्ठ अभियन्ता श्री मनीष कोटियाल के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत खाण्ड गांव से रौंतल मोटर मार्ग का 6.00 कि0मी0 लम्बाई में प्रथम चरण का निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग के निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है। स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति , तकनीकी बिन्दुओं एंव सम्भावित लागत को ध्यान में रखते हुये खण्ड के द्वारा समरेखन संख्या एक को मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग की लम्बाई 4.750 कि0 मी0 प्रस्तावित है। बादसी गोपाल गौलोक धाम से खाण्ड गांव तक प्रस्तावित 2.00 कि0मी0 मार्ग के अंतिम बिन्दु से आगे रौंतल गांव की ओर प्रस्तावित समरेखन आरम्भ होता है तथा रौंतल गांव पहुंच कर समाप्त होता है। समरेखन में दो हेयर पिन बैण्ड्स है , जो क्रमशः क्रास सैक्शन 2/37 तथा 3/24 में दिये गये है। अवगत कराया गया कि समरेखन अलग–अलग भाग में नाप भूमि एंव वन भूमि से होकर गुजरता है। समरेखन क्षेत्र में भूमि का ढलान सामान्यतः 25° से 45° के मध्य प्रतीत होता है , जो वन भूमि में कहीं–कहीं अधिक भी हो सकता है। समरेखन क्षेत्र में संधियुक्त तथा वेदर्ड सैण्डस्टोन एंव फिलाईट चट्टान है , तथा स्थान–स्थान इनके ऊपर पर डेब्री का ओवरबर्डन है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नही हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिगं दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) मार्ग के आरम्भ में टेक आफ प्वाइन्ट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाया जायें।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन मे प्रस्तावित हेयर पिन बैंड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाये।

(घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(ड़) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग मे सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किये जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोनिवि

(च) जहां मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(छ) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये जिससे ढलान पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(ज) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एंव स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(झ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एंव विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(क) मार्ग के कटान के पश्चात हिल साईड मे जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material.के angle of repose.से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भांवना हो सकती है।

5 खाण्ड गांव से रौंतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.750 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एंव खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता0–उ0/05 दि0 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

H. Kumar
17.7.14
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 उत्तराखण्ड
देहरादून

P.C. Ahli
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी